

मानक शर्तों सम्बन्धी प्रमाण—पत्र

विषय:-जनपद मधुरा एवं तहसील गोवर्धन में डेनेज एवं सीवरेज ईकाई, उ0प्र० जल निगम मधुरा द्वारा उ0प्र० पर्यटन विकास की परियोजना के तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के किनारे ग्राम आन्चौर, जतीपुरा एवं राधाकुण्ड देहात (कुल 11006.00 मी० लम्बाई) में वर्षा जल की निकासी हेतु आर० सी० नाला निमिण में निहित कुल 0.9349 हेक्टेर वनभूमि के गेर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

मानक शर्तें


(वन अनुभाग-३, उ0 प्र० शासन की पत्र संख्या 7314/14-३-1980/82 दिनांक 31.12.85 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भौतिक रक्षित / आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदाचित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्मव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ण एवं व्यय जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. उ0प्र० जल निगम मधुरा द्वारा वन विभाग की नरसियों/पोदों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।


रतन लाल मित्तल
प्रभाग निदेशक
सीनीय वन अधिकारी
मधुरा वन विभाग


योगीराम चौधरी
परियोजना प्रबंधक
सीनीय वन अधिकारी
उ0प्र० जल निगम, मधुरा

11. वर्षा जल की निकासी हेतु आर० सी० नाला निर्माण हेतु प्रस्तावों पर "एलाइनमेंट" तथा होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श उ०प्र० जल निगम मथुरा द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में पत्र संख्या 608 / सी दिनांक 10.2.82 में निहित आदेशों का पालन भी किया जायेगा।
 12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
 13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
 14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षरोपण का मुगातान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपड़ तथा तीन वर्ष तक परिशोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किये जायें, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बांज के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों का पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
 15. वन भूमि में वर्षा जल की निकासी हेतु आर० सी० सी० नाला निर्माण हेतु यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का भी कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
 16. यदि वर्षा जल की निकासी हेतु आर० सी० सी० नाला निर्माण में भू-रक्षण की सम्भावना होती है, और भूमि को पदका करना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय से रख्य करायेगा।
 17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।
 18. वन विभाग का वार्ताविक हस्तान्तरण तभी किया जाये, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।
- मैं परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम मथुरा का प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूँ कि उ०प्र० जल निगम मथुरा को उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हैं तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।


योगीश दुमार शर्मा
 परियोजना प्रबन्धक
 ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई
 उ०प्र० जल निगम, मथुरा


दूसरी छाती परिवर्तन
 प्रैन्टेड
 सम्मिलित दानवदी प्रबन्ध
मथुरा